

OFFICE OF THE LAND ACQUISITION OFFICER
(DIVISIONAL OFFICER) BANSWARA(RAJ.)

No. राज/2015/143

Date 27-03-2015

Mr. Ranjan sharan
Chief Engineer (700Mwe-MBG)&
CCE, Haryana Project NPCIL.

Sub:- Finalisation of land compensation and R&R package
For Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power Project.

Subsequent to the issue of Section-9 notification for private land of 2642 bigha for Mahi Banswara Rajasthan Atomic Power project (MBRAPP), consultation with PAPs and their core committee members (Adivasi Sangharsh Samiti) had been started by conducting various meetings. In parallel, social and economic survey of Project Affected Persons has also been started.

Though demand for more compensation is raised by the villagers based on discussion with villagers, it is likely that most of the villagers may agree for the compensation as per the enclosure .

You are requested to convey the approval of NPCIL for giving the compensation as per the enclosure which is in line with draft discussions of collector/SDM/LAO and PAP's and their committee.

Application for acquisition of Govt. land (87.23 Ha) and forest land (107.57 Ha) will be expedited once the award for acquisition of private land along with R&R package is declared.

As the award has to be made within 2 years of Section 6 dated 27-08-2013 we would appreciate a prompt response so that we can go ahead with acquisition process.

Sincerely


LAND ACQUISITION AUTHORITY
SUB DIVISIONAL MAGISTRATE
BANSWARA(RAJ)

Summary of compensation as per RFCT-LARR act-2013 with amendment Ordinance-2014

The First Schedule (Compensation for Land Owners)	As per the Act			As per draft discussion of Collector/SDM/ LAO and PAPs and their committee
			Remarks	
A	Compensation for Land Owners	1 to 2 times of market value as per distance from urban area	Market value as on Sec-4 notification date to be taken	1.75 times the market value of Rs 1.00 lakh per bigha (2.5 lakh per acre) to be uniformly applicable to entire land under acquisition
B	Landed asset cost	Cost Based on survey		Cost based on survey
C	Solatium	100% on (A+B)		100% on A+B
D	Final award value	(A+B+C) plus 12% on (A+100%) from date of market value		A+B+C as latest market value taken

भूमि अधिग्रहण अधिकारी
(एस.डी.ओ.) बांसवाड़ा

Ranjay Sharan

The Second Schedule (R&R package per family)					Remarks	
1	Housing units	As per Indira Awas Yojana	Or cash payment of more than Rs 1.5 lakh or as actual whichever is higher	2.0 lakh		
2	Land for land	2.5 Acres or less as per actual for SC/ST	Applicable to irrigation project	NIL		
		Minimum of 1 Acres in command area for others	Applicable to irrigation project	NIL		
3	Offer of developed land	20% of developed land to be offered to land owners	Applicable to urbanisation project	NIL		


Ranjay Sharan
 अधिकारी
 मृषि अर्वादि (एस.डी.ओ.) बांसवाडा

4	Annuity or employment	Employment to at least one member per family	Or Rs 5 lakh per family Or minimum of Rs 2000/- per month per family for 20 years	Rs 2500 p.m. annuity to leader of the family for 20 years or Rs 5 lakh lumpsum to one member or Job to one member based on qualification, suitability and vacancy
5	Subsistence grant	Rs 3000/- per month per family for 1 year from award	Rs 50000/- extra cash to SC/ST plus relocation in similar ecological zone	Rs 86000/- lumpsum
6	Transportation cost for shifting	Rs 50000/- per family		Rs 50000/-
7	Cattle shed/petty shops cost	Minimum of Rs 25000/- per family		Rs 30000/-
8	Grant to artisan etc	Minimum of Rs 25000/- per family		Rs 30000/-
9	Fishing rights	-	Applicable to Irrigation or hydel project	NIL
10	Resettlement allowance	Rs 50000/-	Once only	Rs 50000/-

भूमि अध्याप्ति अधिकासी
(एस.डी.ओ.) बामनाडा

Ranjay Charan

11	Stamp duty and registration fee	At actual	Joint names of husband and wife	At actual
The Third Schedule (Provision of Infrastructure Amenities)	Following to be provided: Road, drainage, safe drinking water for cattle, grazing land, fair price shops, Panchayat Ghars, Post office, transport, burial or cremation ground, sanitation, electricity, Anganwadi, school, sub-health centre, primary health centre, playground, community centre, worship places, traditional tribal institution, forest rights, security, veterinary services.			Grant of Rs 50000/- per family for this as they do not want to live together at one place


 मुख्या अवापि अधिकारी
 (सि. डी. ओ.) बांसवाड़ा

Ranjay sharan

न्यायालय भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी), बांसवाड़ा
जिला बांसवाड़ा (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी :- रूकमणि रियाड़ सिहाग (आई.ए.एस)

--: संशोधित अवार्ड :-

दिनांक :- - -2015

(सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4X700 मेगावाट परियोजना हेतु तहसील छोटीसरवन जिला बांसवाड़ा के ग्राम बारी, रेल, आडीभीत, कटुम्बी, सजवानिया व तहसील आंबापुरा जिला बांसवाड़ा के ग्राम खाण्डियादेव के निजी खातेदारी भूमि का अवार्ड)

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि सार्वजनिक प्रयोजनार्थ माही बांसवाड़ा न्यूक्लियर पॉवर प्रोजेक्ट 4 गुणा 700 मेगावाट (2800 मेगावाट) के निर्माण हेतु तहसील छोटीसरवन के ग्राम आडीभीत, कटुम्बी, रेल, बारी सजवानिया एवं तहसील आंबापुरा के ग्राम खाण्डियादेव की भूमि अवाप्ति हेतु अवार्ड दिनांक 21-08-2015 से अवार्ड जारी किया गया एवं उक्त राशि का अवार्ड उर्जा विभाग को अनुमोदन हेतु भेज अनुमोदन कराया गया।

अवार्ड का स्टेटमेन्ट (परिशिष्ट क) की पुनः एक रूपी जांच करने पर पाया गया कि अवार्ड में लिपिकीय एवं अंकगणित संबंधित शुद्धि किया जाना आवश्यक है इसके अलावा गणना बिस्वा में किये जाने पर एक बीघा की डी.एल.सी रेट 90448/- रुपये के अनुसार एक बिस्वा की डी.एल.सी रेट 4522.4/- होना होता है मगर अवार्ड के मुआवजा राशि की गणना 4522/- रुपये से की जाने पर मुआवजे राशि में अन्तर प्राप्त हुआ एवं पूर्णांक में आंकड़ों से अवार्ड नहीं बनाने पर राशि में अन्तर पाया गया जिसे पूर्णांक में आंकड़ों से अवार्ड बनाया जाकर निम्नानुसार संशोधित किया गया है।

गांव आडीभीत में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ों संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के बाद कुल राशि रुपये 21090/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढ़ोतरी हुई। एवं कृषि भूमि को अवासीय कर विक्रय किये जाने से क्रेताओं के नाम से अवार्ड बनाया गया परन्तु उक्त क्रेताओं की भूमि के पृथक से उनके अवार्ड के योग करने में त्रुटि हुई जिसे संशोधन किया गया इसके अनुसार अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 12 व 13 पर खाता संख्या 65 (नया) 56 (पुराना) के आराजी संख्या 376/181 में आरीका पुत्री अरुण कुमार के अवार्ड राशि 2957116/- के बजाय 2474710/- रुपये, साधना पत्नि मनोज के अवार्ड राशि 5281146/- के बजाय 2323999/- रुपये, सपना पत्नि निरज के अवार्ड राशि 7574566/- के बजाय 2293421/- रुपये एवं अभिलाशा पत्नि अरुण कुमार के अवार्ड राशि 9706355/- के बजाय 2131789/- रुपये व खाता संख्या 47 (नया) 56 (पुराना) के आराजी संख्या 377/131 में श्वेता पत्नि विशाल के अवार्ड राशि 2577094/- के बजाय 2302157/- रुपये, कुसुम पत्नि नितेश कुमार के अवार्ड राशि 5102041/- के बजाय 2524947/- रुपये, सोनल पत्नि नरेश कुमार के अवार्ड राशि 7292803/- के बजाय 2190763/- रुपये एवं उषा पत्नि मांगीलाल के अवार्ड राशि 9706355/- के बजाय 2413552/- रुपये पढ़ा जावे इस कारण कुल राशि रुपये 31542138/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई।

इस प्रकार गांव आडीभीत में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 663704645/-

रुपये के बजाय राशि 632183597/- रुपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 31521048/- रुपये अवार्ड में कमी



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला क्लर्क, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(विशेष अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

गांव बारी में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ों संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के बाद कुल राशि रुपये 28050/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढ़ोतरी हुई। एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 3 व 4 पर खाता संख्या 17 (नया) 20 (पुराना) के आराजी संख्या 976 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1191683/- के बजाय 1959503/- रुपये बनना था जिससे राशि 767820/- रुपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 10 पर खाता संख्या 33 (नया) 46 (पुराना) के आराजी संख्या 913 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2870662/- के बजाय 2486894/- रुपये बनना था जिससे राशि 383768/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 17 पर खाता संख्या 80 (नया) 78 (पुराना) के आराजी संख्या 510 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1429569/- के बजाय 1237681/- रुपये बनना था जिससे राशि 191888/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 17 पर खाता संख्या 83 (नया) 1 (पुराना) के आराजी संख्या 567 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 4267094/- के बजाय 42739856/- रुपये बनना था जिससे राशि 38472762/- रुपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 26 पर खाता संख्या 154 (नया) 124 (पुराना) के आराजी संख्या 473 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1252852/- के बजाय 1060956/- रुपये बनना था जिससे राशि 191896/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 27 पर खाता संख्या 11 (नया) 135 (पुराना) के आराजी संख्या 1061/489 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 11417334/- के बजाय 2283469/- रुपये बनना था जिससे राशि 9133865/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 29 पर खाता संख्या 118 (नया) 161 (पुराना) के आराजी संख्या 495 व 1054/495 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 3640836/- के बजाय 11853423/- रुपये बनना था जिससे राशि 8212587/- रुपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 30 पर खाता संख्या 175 (नया) 1 (पुराना) के आराजी संख्या 1039/566 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 1928827/- के बजाय 3464456/- रुपये बनना था जिससे राशि 1535629/- रुपये की वृद्धि हुई, इस कारण राशि 48988798/- रुपये की वृद्धि व राशि 9901417/- रुपये की कमी जिससे कुल राशि रुपये 39087381/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई। इसके अलावा एक और त्रुटी पायी गयी जिसमें पाया गया कि गांव बारी के पृष्ठ संख्या 31 पर सरकारी भूमि में निर्मित राजु पिता गौतम के मकान की राशि 42600/- रुपये व प्रकाश पिता प्रभु के मकान की राशि 153360/- रुपये कुल राशि 195960/- रुपये जो अनुमोदित अवार्ड के अंतिम योग में जोड़ने से शेष रह गया था जिसे संशोधित अवार्ड में जोड़ा गया है। जिससे राशि 195960/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई।

इस प्रकार गांव बारी में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 1117970580/- रुपये के बजाय राशि 1157281971/- रुपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 39311391/- रुपये अवार्ड में वृद्धि की गई।

गांव रेल में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ों संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के बाद कुल राशि रुपये 15133/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढ़ोतरी हुई। एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 324, 488/324, 323 व 487/323 में से खातेदार कानजी पिता रंगजी ने 487/323 व 488/324 की भूमि विक्रय की इसमें 488/324 में से 3436 वर्ग फीट शेष रही इसके अलावा 487/323 की पूर्ण भूमि विक्रय कर दी जिससे इसे संशोधन अवार्ड से हटाया जाना है। इस प्रकार खातेदार के अवार्ड के कुल राशि 10385289/- के बजाय 2131626/- रुपये बनना था



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलेक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(नयनराज बलिवर) बांसवाड़ा (राज.)

जिससे राशि 8253663/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 487/323 व 488/324 में हार्दिक पिता जितेन्द्र के गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2884357/- के बजाय 1774214/- रुपये बनना था जिससे राशि 1110143/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 487/323 व 488/324 में धर्मश पिता अजित कुमार के गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2884357/- के बजाय 2850337/- रुपये बनना था जिससे राशि 34020/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 8 (नया) 74 (पुराना) के आराजी संख्या 487/323 व 488/324 में गौरव पिता जितेन्द्र के गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 2884357/- के बजाय 3003230/- रुपये बनना था जिससे राशि 118873/- रुपये की वृद्धि हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 20 पर खाता संख्या 57 (नया) 54 (पुराना) के आराजी संख्या 495/492/401 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 18397/- के बजाय 15036/- रुपये बनना था जिससे राशि 3361/- रुपये की कमी हुई, अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 21 पर खाता संख्या 85 (नया) 31 (पुराना) के आराजी संख्या 498/391 की कृषि भूमि में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 921296/- के बजाय 191945/- रुपये बनना था व इसी खसरे की आबादी भूमि में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 4892334/- के बजाय 5562319/- रुपये बनना था एवं इन खसरों के कुल योग की राशि में अन्तर पाया गया जिससे अनुमोदन अवार्ड में राशि 4141585/- रुपये के बजाय 8974556/- रुपये होता है। जिससे राशि 4832971/- रुपये की वृद्धि हुई, इस कारण राशि 4951844/- रुपये की वृद्धि व राशि 9401187/- रुपये की कमी जिससे कुल राशि रुपये 4449343/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई। इसके अलावा एक और त्रुटी पायी गयी जिसमें पाया गया कि गांव रेल के पृष्ठ संख्या 17 पर खाता संख्या 90 (नया) 1 (पुराना) के खसरा संख्या 261 में राशि 1184620/- रुपये, पृष्ठ संख्या 12 पर खाता संख्या 60 (नया) 57 (पुराना) में स्थित जनक पिता कालुराम के मकान की राशि 122720/- रुपये कुल राशि 1307340/- रुपये जो अनुमोदित अवार्ड के अंतिम योग में जोड़ने से शेष रह गया था जिसे संशोधित अवार्ड में जोड़ा गया है। जिससे राशि 1307340/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई।

इस प्रकार गांव रेल में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 493411876/- रुपये के बजाय राशि 490285006/- रुपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 3126870/- रुपये अवार्ड में कमी की गई।

गांव सजवानिया में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ों संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के बाद कुल राशि रुपये 5401/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढ़ोतरी हुई। एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 8 पर खाता संख्या 112 (नया) 76 (पुराना) के आराजी संख्या 792 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 3070986/- के बजाय 1113281/- रुपये बनना था जिससे राशि 1957705/- रुपये की कमी हुई इस कारण राशि 1957705/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई। इसके अलावा एक और त्रुटी पायी गयी जिसमें पाया गया कि गांव सजवानिया के पृष्ठ संख्या 8 पर खाता संख्या 112 (नया) 76 (पुराना) खसरा संख्या 792 में राशि 3070986/- रुपये, पृष्ठ संख्या 5 खाता संख्या 35 (नया) 51 (पुराना) में स्थित लक्ष्मण पिता नाकला के मकान की राशि 40220/- रुपये व खाता संख्या 35 (नया) 51 (पुराना) में स्थित वरसिंह पिता नाकला के मकान की राशि 32858/- रुपये कुल राशि 3144064/- रुपये जो अनुमोदित अवार्ड के अंतिम योग में जोड़ने से शेष रह गया था जिसे संशोधित अवार्ड में जोड़ा गया है। जिससे राशि 3144064/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में वृद्धि हुई।



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बासवाड़ा

ग्रामि अवार्ड अधिकारी
(अखण्ड अधिकारी) बासवाड़ा (उ.प्र.)

इस प्रकार गांव सजवानिया में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 146909868/- रुपये के बजाय राशि 148101628/- रुपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 1191760/- रुपये अवार्ड में वृद्धि की की गई।

गांव कटुम्बी में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ों संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के बाद कुल राशि रुपये 4793/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढ़ोतरी हुई।

इस प्रकार गांव कटुम्बी में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 124340997/- रुपये के बजाय राशि 124345790/- रुपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 4793/- रुपये अवार्ड में कमी की की गई।

गांव खाण्डियादेव में इस प्रकार बिस्वा गणना के अनुसार 40 पैसे के अन्तर एवं पूर्णांक में आंकड़ों संबंधित त्रुटियों का निराकरण करने के बाद कुल राशि रुपये 9819/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में बढ़ोतरी हुई। एवं इसके अलावा अनुमोदित अवार्ड की पृष्ठ संख्या 4 पर खाता संख्या 22 (नया) 63 (पुराना) के आराजी संख्या 19 व 584/68 में गणन संबंधित त्रुटी पायी गई जिससे राशि 18510628/- के बजाय 4586460/- रुपये बनना था जिससे राशि 13924168/- रुपये की कमी हुई इस कारण राशि 13924168/- रुपये का अनुमोदन अवार्ड की राशि से संशोधित अवार्ड की राशि में कमी हुई।

इस प्रकार गांव खाण्डियादेव में सभी राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अनुमोदित अवार्ड राशि 272737862/- रुपये के बजाय राशि 258823513/- रुपये का अवार्ड बनता है। जिसका अन्तर राशि 13914349/- रुपये अवार्ड में कमी की की गई।

इस प्रकार सभी गावों राशियों की कमी एवं वृद्धि को देखते हुए अन्त में कुल राशि 8054323/- रुपया की कमी का अन्तर पाया गया।

अतः अब सभी संशोधन किये जाने के बाद अनुमोदित अवार्ड की राशि 2819075828/- रुपये के बजाय संशोधित अवार्ड राशि 2811021505/- रुपये होती है।

पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन की ग्रामवार सूची में तो कोई भी त्रुटी नहीं है परन्तु संक्षिप्त सूची (समरी शीट) में अन्तर पाया गया जिसे भी शुद्धि किया जाना आवश्यक है। इसकी जांच हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 430-31 दिनांक 5-10-2013 से जांच कराने पर यूनिक टेक्नोक्रेट्स एण्ड कन्सलटेन्ट प्रा. लि. लखनऊ हाल शारदा कोलोनी बांसवाड़ा के पत्रांक 165 दिनांक 21-10-2015 द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत की गई जो शामिल पत्रावली है।

मुताबिक रिपोर्ट ग्राम बारी में क्रम संख्या 18 (पुराना) में धर्मेन्द्र पिता फतिया की राशि 236000/- के बजाय 436000/- रुपये, क्रम संख्या 47 (पुराना) में भुलकी पुत्री हुरजी की राशि 236000/- के बजाय 436000/- रुपये, क्रम संख्या 49 (पुराना) में विजय पुत्री हुरजी की शून्य के बजाय राशि 936000/- रुपये, क्रम संख्या 215 (पुराना) में रमेश पिता दलीचन्द की राशि 936000/- रुपये के बजाय राशि 736000/- रुपये व क्रम संख्या 216 (पुराना) में सुखलाल के राशि 436000/- रुपये के बजाय राशि 236000/- रुपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 936000/- रुपये पाया गया।

ग्राम खाण्डियादेव में क्रम संख्या 70 (पुराना) में कान्ता पत्नि नाथु की शून्य के बजाय राशि 936000/- रुपये, क्रम संख्या 71 (पुराना) में कान्ति पुत्र अरुण की शून्य के बजाय राशि 936000/- रुपये, क्रम संख्या 72 (पुराना) में रमेश पिता गीतम की शून्य के बजाय राशि 936000/- रुपये, क्रम संख्या 73 (पुराना) में वेलजी पिता मेगा की शून्य के बजाय राशि



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाधित अधिकारी
(उपपरमपूज्य अधिकारी) बांसवाड़ा (क.व.)

936000/- रुपये व क्रम संख्या 74 (पुराना) में गौतम पिता देवा के शुन्य के बजाय राशि 936000/- रुपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 4680000/- रुपये पाया गया।

ग्राम रेल में क्रम संख्या 32 (पुराना) में गोती पुत्री बारीया की राशि 236000/- के बजाय 736000/- रुपये, क्रम संख्या 41 (पुराना) में गंगा पुत्री धनजी की राशि 236000/- के बजाय 736000/- रुपये, क्रम संख्या 93 (पुराना) में केसरी पुत्री वजीया की राशि 236000/- के बजाय राशि 736000/- रुपये, क्रम संख्या 118 (पुराना) में जामा पत्नि भगुडा की राशि 436000/- रुपये के बजाय राशि 936000/- रुपये व क्रम संख्या 119 (पुराना) में लक्ष्मी पत्नि मगन के राशि 436000/- रुपये के बजाय राशि 936000/- रुपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 2500000/- रुपये पाया गया।

ग्राम सजवानिया क्रम संख्या 4 (पुराना) में सतुरी पत्नि फुलिया की राशि 436000/- के बजाय 936000/- रुपये, क्रम संख्या 13 (पुराना) में ललिता पुत्री कान्ती की राशि 236000/- के बजाय 736000/- रुपये, क्रम संख्या 17 (पुराना) में इतरी पत्नि केसरीमल की राशि 436000/- के बजाय राशि 936000/- रुपये, क्रम संख्या 17 (पुराना) में भुरी की राशि 236000/- रुपये के बजाय राशि 736000/- रुपये, क्रम संख्या 20 (पुराना) में छगन पुत्र लालु के राशि 223600/- रुपये के बजाय राशि 736000/- रुपये, क्रम संख्या 25 (पुराना) में विश्राम पुत्र भीमा की राशि 436000/- के बजाय 936000/- रुपये, क्रम संख्या 25 (पुराना) में अनिता पुत्री विश्राम की राशि 236000/- के बजाय 736000/- रुपये, क्रम संख्या 32 (पुराना) में राजकुमारी पुत्री हुरजी की राशि 236000/- के बजाय राशि 736000/- रुपये, क्रम संख्या 42 (पुराना) में जमना पत्नि प्रभु की राशि 436000/- रुपये के बजाय राशि 936000/- रुपये व क्रम संख्या 95 (पुराना) में गवरा पुत्री सुखिया के राशि 236000/- रुपये के बजाय राशि 736000/- रुपये इस प्रकार कुल अन्तर राशि 5012400/- रुपये पाया गया।

इस प्रकार चारों गांवों में सम्पूर्ण कुल राशि 13128400/- की वृद्धि की गई है।

अतः अब उक्त सभी त्रुटियों को सही किया जाकर मैं रुकमणि रियाड सिहाग भूमि अवाप्ति अधिकारी (उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 13 ए के अन्तर्गत संशोधित अवार्ड जो पृथक से अवार्ड का स्टेटमेंट (परिशिष्ट क) तैयार किया जाकर संलग्न है एवं पूर्व में जारी अवार्ड राशि रुपये 2,81,90,75,28/- के बजाय अब राशि रुपये 2,81,10,21,505/- का संशोधित अवार्ड जारी किया जाता है।

अन्य राशि में पाये गये अन्तर को संशोधित करने पर निम्नानुसार राशि का संशोधित अवार्ड जारी किया जाता है।

1	अवाप्त शुदा भूमि की किमत	-	रु. 347081013/-
2	मकानों की राशि	-	रु. 90357974/-
3	पेड़ों की राशि	-	रु. 32121880/-
4	कुओं की राशि	-	रु. 19170888/-
5	ब्याज की राशि	-	रु. 370055052/-
6	सोलेशियम का राशि	-	रु. 1324544928/-
7	अवाप्तशुदा भूमि की अंतिम देय मुआवजा राशि	-	रु. 2811021505/-
8	पूँजीगत मूल्य	-	रु. 200300/-
9	Provision of housing unit or lump sum grant of rs. Two Lakh in lieu of constructed house	-	रु. 159400000/-
10	One time (5 lacs)	-	रु. 237500000/-
11	Subsistence grant rs. 86000/- lump sum for displaced families	-	रु. 139492000/-
12	Transportation cost rs. 50000/- lump sum for the displaced families	-	रु. 81100000/-
13	Cattle shed/petty shops cost rs. 25000/-	-	रु. 40550000/-
14	One time grant to artisan, small traders Rs. 25000/-	-	रु. 40550000/-



(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा

भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (कच.)

15	One Time Resettlement allowance Rs. 50000/-	-	रु.	81100000/-
16	Allocation for annuity	-	रु.	68500000/-
17	Allocation of Security Amount for job to families	-	रु.	499938323/-
18	पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन (Grand Total)	-	रु.	1348130323/-
कुल योग राशि (7+8+18)				- रु. 4159352128/-

(अक्षरे रूपया चार अरब पन्द्रह करोड तेरानवे लाख बावन हजार एक सौ अठ्ठाईस रुपये मात्र)

(रुकमणि रियल्टी सिहाग)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

यह संशोधित अवार्ड आज दिनांक - -2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी किया गया।

(रुकमणि रियल्टी सिहाग)
भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

प्रतिलिपि :-

1. श्रीमान् शासन उप सचिव ऊर्जा विभाग राजस्थान सरकार जयपुर
 2. श्रीमान् जिला कलक्टर महोदय, बांसवाड़ा
 3. मुख्य अभियन्ता न्युक्विलयर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, माही बांसवाड़ा प्रोजेक्ट ग्रुप, 8-1-10, नाभिकीय उर्जा भवन, अणुशक्ति नगर, मुम्बई-400094
- मुख्य अभियन्ता न्युक्विलयर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हाऊसिंग बोर्ड बांसवाड़ा
तहसीलदार, तहसील छोटीसरवन/आंबापुरा



भूमि अवाप्ति अधिकारी
(उपखण्ड अधिकारी) बांसवाड़ा (राज.)

(प्रकाश राजपुरोहित)
जिला कलक्टर, बांसवाड़ा